

जिला

झारखण्ड



सत्यमेव जयते

गजट

सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 03

रामगढ़ दिन : सोमवार
दिनांक 04.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

अधिघोषणा

विषय सूची
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 796/मू0अ0.

रामगढ़, दिनांक 29/12/2015

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा गोला चारु पथ के कि०मी० 1.20 में पतासुरी नाला पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु ग्राम कामता, थाना गोला, थाना सं० 27, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में कुल 0.47 एकड़ यानि 0.19028 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.47 एकड़ यानि 0.19028 हेक्टेयर है, और जो ग्राम कामता, थाना गोला, थाना सं० 27, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	109	945 अश	रैयती	कृषि	0.08	चीतर महतो पिता सदपाल महतो	नाला	947	947	945
2	109	947 अश	रैयती	कृषि	0.225	चीतर महतो पिता सदपाल महतो	नाला	सडक	सडक	945 947
3	109	947 अश	रैयती	कृषि	0.165	रामदास साहु पिता रामनाथ साहु	नाला	सडक	सडक	945 947
कुल रकवा					0.47					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह०/-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह०/-
अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।